कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
सिंचाई प्रमंडल, रजौली।

Email- eesinchairajauli2016@gmail.com

कोटेशन आमंत्रण सूचना सं०–01/2026–2027

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग का पत्रांक 253 दिनांक 15.03.2024 के आलोक में नहर संचालन/संपोषण हेतु अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल–01, एवं सिंचाई अवर प्रमंडल–03 रजौली द्वारा निरीक्षण वाहन के रूप में वित्तीय वर्ष 2026–27 (खरीफ सिंचाई अवधि) में उपयोग हेतु 02 (दो) अदद् बोलोरो एवं समकक्ष वाहन ड्राईवर सहित भाड़े पर रखने की आवश्यकता है। इस क्रम में इच्छुक वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता से उक्त वाहन ड्राईवर सहित भाड़े पर आपूर्ति करने हेतु कोटेशन निम्न शर्तों के साथ आमंत्रित किया जाता है:–

1. वाहन का मॉडल 2021 के पूर्व का नहीं होना चाहिए तथा वाहन अच्छी स्थिति एवं कार्यरत अवस्था में होना चाहिए। वाणिज्यिक निबंधन वाले वाहन को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. वाहन का वैद्य निबंधन पत्र, बीमा, रोड टैक्स एवं प्रदुषण प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा।
3. वाहन आपूर्तिकर्त्ता/फर्म का GST निबंधन तथा आयकर निबंधन होना चाहिए।
4. चालक के पास वैध ड्राईविंग लाइसेन्स होना चाहिए।
5. वाहन का दर जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा एस०यू०वी वाहन का वर्तमान अनुमोदित अधिकतम दर 750 रू० (सात सौ पचास) मात्र प्रति दिन (भविष्य में जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा वाहन के दर में संशोधन होने के पर उस अवधि से संसोधित दर पर भुगतान किया जायेगा) एवं आपके द्वारा उद्धृत दर मे से न्यूनतम दर स्वीकार्य होगा तथा प्रत्येक माह 26 दिन के लिए ही वैद्य होगा, भाड़ा रूपया प्रतिदिन की दर से निर्धारित अंकित करना होगा। सशर्त एवं वेरियेबल अंकित दर अमान्य होगा।
6. वाहन का रख रखाव, साफ–सफाई वाहन मालिक के द्वारा किया जायेगा तथा हमेशा चालू अवस्था में रखने की वाहन मालिक/वाहन अपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी होगी। वाहन की चोरी या दुर्घटना तथा अन्य क्षति होने पर चालक सहित वाहन की जिम्मेदारी वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता की होगी।
7. नियमानुसार सभी प्रकार के करों अर्थात जी०एस०टी०/आई0टी0 आदि अन्य करों का भुगतान वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता को स्वयं वहन करना होगा। कार्यालय द्वारा किसी प्रकार के कर का भुगतान नहीं होगा।
8. एकरारित अवधि के दौरान वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता के द्वारा किसी निजी कार्य में नहीं किया जायेगा।
9. सेवा असन्तोषजनक रहने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कार्यालय द्वारा बिना कारण बताये एकरारनामा रद्द् करने का अधिकार होगा।
10. इच्छुक वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता क्रमांक 2 एवं 3 से संबंधित कागजात के साथ अपना कोटेशन दिनांक 05.06.2026 से 15.06.2026 तक कार्य अवधि में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में बन्द लिफाफे में 03:00 बजे अपराहन् तक समर्पित करेंगें। जिसे दिनांक 15.06.2026 के 03:30 बजे अपराहन् में खोला जायेगा। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रह सकते है। सभी वांछित कागजात सही पाये जाने पर अग्रेतर कार्रवाई के लिए आपको सूचित किया जाएगा।
11. कोटेशनदाता/एजेंसी सभी वाहनों, जनशक्ति, तृतीय पक्ष बीमा, आदि का बीमा करने के लिए जिम्मेदार होगी। दुर्घटना, चोरी, क्षति, सेंधमारी आदि के लिए और अवधि के दौरान बीमा कवर के नवीनीकरण के लिए भी अनुबंध।
12. नियमानुसार आवश्यक सक्षम पदाधिकारी के आदेश एवं आवंटन उपलब्ध होने पर ही भाड़ा एवं इंधन व्यय का भुगतान गाड़ी मालिक को किया जाएगा तथा इसमें पूर्व एवं अतिरिक्त गाड़ी मालिक का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

ह0/–
कार्यपालक अभियंता,
सिंचाई प्रमंडल, रजौली।

पत्रांक :–.................   /रजौली,   दिनांक–................./2026
प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, रजौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रचार–प्रसार हेतु समर्पित।

ह0/–
कार्यपालक अभियंता,
सिंचाई प्रमंडल, रजौली।

पत्रांक :–.................   /रजौली,   दिनांक–................./2026
प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रचार–प्रसार हेतु समर्पित।

ह0/–
कार्यपालक अभियंता,
सिंचाई प्रमंडल, रजौली।

पत्रांक :–.................   /रजौली,   दिनांक–................./2026
प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, नवादा/मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, नालन्दा, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/–
कार्यपालक अभियंता,
सिंचाई प्रमंडल, रजौली।

पत्रांक :–877   /रजौली,   दिनांक–05.06/2026
प्रतिलिपि :– सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु समर्पित।

05/06/2026
कार्यपालक अभियंता,
सिंचाई प्रमंडल, रजौली।

05/06/26